



## पूर्वोत्तर रेलवे

### अधिसूचना

कार्यालय  
महाप्रबन्धक(कार्मिक)  
गोरखपुर  
दिनांक 16.12.2025.

स0 :-का/254/10/मेडि0/पदोन्नति/वरि0 लिपिक/2025/मुख्या/VIII

1. प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. चिकित्सा निदेशक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर.

विषय:-चिकित्सा विभाग मुख्यालय इकाई गोरखपुर के अधीन 66.66 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत वरिष्ठ लिपिक, लेवल-5 श्रेणी की रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में।

चिकित्सा विभाग मुख्यालय इकाई, गोरखपुर के अधीन वरिष्ठ लिपिक, लेवल-5 श्रेणी की 66-2/3 % विभागीय पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत 08 पदों (सामान्य-04, अजा-02, अजजा-02, एक पद PWBD B, LV सहित) उच्च ग्रेड की रिक्तियों सहित भरने हेतु वरीयता-सह-सुयोग्यता (लिखित परीक्षा) के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया है।

इस लिखित परीक्षा सम्मिलित होने हेतु निम्नलिखित कर्मचारी पात्र है:-

| क्र.सं.            | कर्मचारी का नाम<br>(सर्वश्री/श्रीमती) | HRMS ID | पदनाम एवं लेवल    | कार्यस्थल          |
|--------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| 1.                 | प्रीति कुमारी शर्मा                   | POOACD  | अवर लिपिक, लेवल-2 | प्रमुचिनि, गोरखपुर |
| 2.                 | जगदीश प्रसाद                          | SQHQGS  | अवर लिपिक, लेवल-2 | प्रमुचिनि, गोरखपुर |
| 3.                 | दीपक कुमार मीना                       | ZROTGC  | अवर लिपिक, लेवल-2 | चिनि, गोरखपुर      |
| 4.                 | दिव्यांश                              | BFHLDS  | अवर लिपिक, लेवल-2 | चिनि, गोरखपुर      |
| 5.                 | श्याम सुन्दर मीना                     | CMLIKR  | अवर लिपिक, लेवल-2 | चिनि, गोरखपुर      |
| 6.                 | सुखवीर मीना                           | DWUGRC  | अवर लिपिक, लेवल-2 | चिनि, गोरखपुर      |
| 7.                 | शशांक सोनकर                           | WJYGWC  | अवर लिपिक, लेवल-2 | प्रमुचिनि, गोरखपुर |
| कुल सात नाम मात्र। |                                       |         |                   |                    |

तैयार रहने हेतु सूचित किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची:-

| क्र.सं. | कर्मचारी का नाम<br>(सर्वश्री/श्रीमती) | HRMS ID | पदनाम एवं लेवल    | कार्यस्थल     |
|---------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------|
| 1.      | पंकज कुमार वर्मा                      |         | अवर लिपिक, लेवल-2 | चिनि, गोरखपुर |

1. पाठ्यक्रम-उपरोक्त परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम अनुसंगनक-। के रूप में संलग्न है।

कमश:-02

2. लिखित परीक्षा की प्रक्रिया:-

1. चिकित्सा विभाग मुख्यालय इकाई, गोरखपुर के पत्र सं० का/254/चयन/प्रश्न बैंक/निर्देश/04/80 दिनांक 20.03.2019 के अनुसार लिखित परीक्षा में 100 अंकों के 110 बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ द्विभाषीय (हिन्दी तथा अंग्रेजी) प्रश्न होंगे, जिसमें से अधिकतम 100 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 10 प्रतिशत प्रश्न राजभाषा से पूछे जायेंगे जिनका उत्तर देना वैकल्पिक होगा।
2. रेलवे बोर्ड के पत्र सं० (आरबीई संख्या-194/2019) दिनांक 14.11.2019 के अनुसार निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
3. आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर कैंडर पद पर चयन के नियम और शर्तों/लागू अन्य शर्तों के सम्बन्ध में हलांकि इस अधिसूचना में अनजाने में छूट गए हैं, उन्हें बैध और सक्रिय माना जाना चाहिए।
4. इस लिखित परीक्षा की कोई अनुपस्थित लिखित परीक्षा नहीं होगी तथा इसे परीक्षा की सूचना समझा जाए।
5. उपरोक्त सुयोग्यता परीक्षा रेलवे बोर्ड के RBE No. 05/2024 के अनुसार कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)/टैबलेट आधारित परीक्षा (TBT) के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेगी, जिसमें कोई भौतिक प्रश्नपत्र नहीं होगा। सभी प्रश्नपत्र कम्प्यूटर/टैबलेट पर होंगे और कर्मचारी को प्रश्नपत्र के उत्तर कम्प्यूटर/टैबलेट पर ही अंकित करने होंगे।
6. लिखित परीक्षा में अर्हक अंक 50 % है, हलांकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी मौजूदा नियमों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों में अर्हक होने के लिए 10 % की छूट के पात्र हैं।

अतः सभी सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों/पर्यवेक्षकों से अनुरोध है कि उपरोक्त कर्मचारियों से परीक्षा में सम्मिलित होने की सहमति/असहमति प्राप्त कर दिनांक 06.01.2026 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए समय से कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(गोपाल प्रसाद गुप्ता)

वकाधि/मुख्यालय

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक, गोरखपुर

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुचिनि कार्यालय/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर
2. चिनि कार्यालय/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3. महामंत्री, मेंस कांग्रेस, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
4. महामंत्री, आल इंडिया ओबीसी, एससी/एसटी, रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, गोरखपुर।
5. मुकार्याधी/गोपनीय/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
6. मुकार्याधी/एमपीपी, प्रमुकाधि कार्यालय, गोरखपुर।
7. सूचना पट्ट एवं अन्य प्रति।
8. वेबसाइट प्रति (<https://ner.indianrailways.gov.in>)।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक, गोरखपुर

**SYLLABUS FOR SELECTION TO THE POST OF SENIOR CLERK IN  
LEVEL-5 AGAINST 66 2/3% DPQ QUOTA**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Organizational Structure of Ministry of Railways at Railway Board, Zonal Railway, Divisional/Unit levels.                                                                                                                                                                     |
| 2  | Office Procedure<br>(a) Management of DAK and Receipts.<br>(b) File Management<br>(c) Records Management including records retention Schedule.<br>(d) Classification of documents and handling of classified documents.<br>(e) Dealing of VIP, MP, MLA and CA-III references. |
| 3  | Forms of communications<br>a) Letter/DO writing<br>b) Notifications<br>c) Writing Noting on files.                                                                                                                                                                            |
| 4  | Award of Works in Works Programme.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Procedure for Stores Procurement(including through GeM).                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | Statutory Audit/Accounts Inspection Notes, Draft Paras.                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Standards of financial propriety.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | Railway Housing(Railway Quarters allotment)Policy.                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Discipline & Appeal Rules and conduct rules.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Medical examination and Medical facilities available to Railway employees.                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Man Power Planning – Vacancy Bank, Creation of Posts, Benchmarking, Supernumerary Posts, redeployment of surplus staff, redistribution of posts& Training.                                                                                                                    |
| 12 | Recruitment, Selection & Suitability, Seniority, grant of MACPs benefit and APAR                                                                                                                                                                                              |
| 13 | Pay and Allowances.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Pass rules.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | Leave rules.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Railway Pension Rules (OPS, NPS& UPS).                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 | Railway Servants (Hours of Work&Period of rest) Rules, 2005.                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 | Staff Benefit Fund                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 | Model Schedule of Powers.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | Right to Information Act 2005                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | Official Language Policy, Act and rules.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22 | Recognition and facilities to Trade Union/Associations                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | CPGRAM, HRMS, E-office, UMID                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Note-1:** Questions set in the paper will be normally to assess the understanding of the candidates w.r.t. various topics as above which various ministerial staff are required to know.

**Note-2 :**10% of the total marks will be from Official Language Policy, Act and rules which will be optional.

\*\*\*\*\*